रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2016/माघ 13, 1937
No. 279] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2016/MAGHA 13, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2016

का.आ.325(अ).—श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला, शोध विद्वान, हैदराबाद विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) का तारीख 17 जनवरी, 2016 को निधन हो गया है;

और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भेजी गई तथ्यान्वेषी समिति ने शोध विद्वान की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों की जांच की और हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में हुए पश्चातवर्ती आन्दोलन के साथ-साथ अगस्त, 2015 से पहले प्रारंभ हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया है;

और तथ्यान्वेषी समिति द्वारा सामने लाए गए तथ्यों की, विश्वविद्यालय में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यलोप और कृत्यों की पहचान करने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाने हेतु, एक विस्तृत जांच की जानी अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हैदराबाद विश्वविद्यालय में घटनाओं, जो श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला की मृत्यु का कारण बनी, की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपानवाल (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में जांच आयोग की नियुक्ति करती है।

2. आयोग को सौंपे गए कृत्य निम्नानुसार होंगे:-

(i) उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोध विद्वान श्री चक्रवर्ती आर. वेमुला की मृत्यु का कारण बने और इस चूक, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायित्व नियत करना;

(ii) विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए विद्यमान शिकायत निवारण व्यवस्था का पुनर्विलोकन करना और सुधार संबंधी सुझाव देना।

3. आयोग अपनी जांच करेगा और केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें इसकी नियुक्ति के तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा।

[फा.सं. 7-5/2016-डेस्क (यू)]

सुखबीर सिंह संधु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2016

S.O. 325(E).— Whereas, Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar in the University of Hyderabad (a Central University) has died on 17th January, 2016;

And whereas, the Fact Finding Committee sent by the Ministry of Human Resource Development to inquire into the circumstances leading to the death of the research scholar and the subsequent agitation in the campus of University of Hyderabad has listed various incidents starting prior to August 2015;

And whereas, the facts brought out by the Fact Finding Committee required a detailed examination to identify acts of omission and commission on the part of various persons in the University, and to suggest steps for preventing such incidents in future;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retired) to enquire into the events at the University of Hyderabad, culminating in the death of Shri Chakravarti R. Vemula.

2. The terms of reference of the Commission shall be as follows:-

   (i) to enquire into the facts and circumstances leading to the death of Shri Chakravarti R. Vemula, a research scholar of University of Hyderabad, and fix responsibility for lapses, if any;

   (ii) to review the existing grievance redressal mechanism for students at the University, and to suggest improvements.

3. The Commission shall carry out its inquiry and submit its report and recommendations to the Central Government within three months from the date on which it is appointed.

[F. No. 7-5/2016 –Desk (U)]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.